पत्रांक–योजना बजट–327 / 2025– 6125 / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक– 26 / 11 / 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–02 बेतिया अंतर्गत जंगल सफारी वाहन आपूर्ति हेतु कुल ₹2,80,56,528 / – (दो करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार पाँच सौ अठाईस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–02 बेतिया अंतर्गत जंगल सफारी वाहन आपूर्ति हेतु कुल ₹2,80,56,528 / – (दो करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार पाँच सौ अठाईस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन पत्रांक–757 दिनांक–22.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना / प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110–वन्य जीव परिरक्षण, उपशीर्ष 0121–वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास, विपत्र कोड–19–2406021100121 के विषय शीर्ष–0121.51.01–मोटर वाहन के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–2, बेतिया होगें तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. सामग्री / सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो GeM/निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

12. संचिका संख्या–327/2025 के पृष्ठ–17/प० पर दिनांक–26.11.2025 को सम्पन्न लोक वित्त समिति के ज्ञापांक–1025 लो०वि० दिनांक–26.11.2025 द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

13. संचिका संख्या–327/2025 के पृष्ठ–06/टि० पर दिनांक–26.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ–07/टि० पर दिनांक–26.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–327/2025–6125/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–26/11/2025

प्रतिलिपिः– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–327/2025–6125/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–26/11/2025

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

5

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी –सह उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल–2, बेतिया

प्रेषक,

पत्रांक 3401 दिनांक 22/11/2025

विकास अहलावत, भा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
–सह–उप निदेशक।

सेवा में,

वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत वाल्मीकिनगर, मंगुराहा एवं गोवरधना में ईको टूरिज्म के विस्तार हेतु सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का पुनरीक्षित प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत ईको–टूरिज्म के विस्तार हेतु वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के वाल्मीकिनगर, मंगुराहा एवं गोवरधना ईको–पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटको हेतु सफारी वाहन के क्रय हेतु प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में कुल राशि– 28056528/–रू. का प्रस्ताव (Quotation सहित 4 प्रतियों में) इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है। वन ऐप का क्रमांक VTR125260016 हैं।

SUMMARY SHEET for the Financial Year 2025-26

S. No	Item	Unit	Unit Cost (In Lakhs)	No. of Units	Amount (In Lakhs)	Location
1	Toyota Hilux 4*4 MT White Diesel BS6 with modification	No.	5027731.00	2	10055462	VTR Div-2 & 1 (Valmikinagar/ Manguraha/ Gobardhana Range)
2	ISUZU V Cross 4*4 MT Z With modification	No.	3000177.69	6	18001066	
	TOTAL				28056528	

भवदीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी –सह– उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल–02, बेतिया।

4

Annexure:- 00

Office of the Divisional Forest Officer-Cum-Deputy Director, Valmiki Tiger Reserve, Division-2, Bettiah.							
State Plan							
Detail estimate for Purshase of Safari Vehicles in VTR including Modification							
SUMMARY SHEET for the Financial Year 2025-26							
S.No	Item	Unit	Unit Cost (In Lakhs)	No. of Units	Amount (In Lakhs)	Location	Remarks
1	Toyota Hilux 4*4 MT Whith Diesel BS6	No.	5027731.00	2	10055462	VTR Div-2 & 1 (Valmikinagar/ Manguraha/ Gobardhana Range)	Ann-01
2	ISUZU V Cross 4*4 MT Z With Car Fabrication	No.	3000177.69	6	18001066		Ann-02
TOTAL					28056528		

Submitted for Rs.28056528.14 (Two Crore Eighty Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred Twenty Eight Only)

Divisional Forest Officer-Cum-Deputy Director,
Valmiki Tiger Reserve, Division-2, Bettiah.

Submitted for Rs.28056528.14 (Two Crore Eighty Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred Twenty Eight Only)

Conservator of Forests-cum-Field Director,
Valmiki Tiger Reserve, W. Champaran, Bettiah

Technical Sanction for Rs.28056528.14 (Two Crore Eighty Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred Twenty Eight Only)

22/11/25

Director, Ecology and Environment